बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या— 13 / सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं0—14585/2009 डा० आनंद कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक—14.02.2011 को पारित फैसले के अनुपालन में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—8 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल नगर पंचायत, बिहटा (जिला पटना) के गठन सम्बन्धी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या—1682 दिनांक—20.05.2009 को एतद् द्वारा बातिल (Annul) करते है।

.बिहार राज्यपाल के आदेश से-

ह0 / — (डा0 एस0 सिद्वार्थ) सचिव

ज्ञापांक— 4 (न) गठ—8 / 2008 / न०वि०एवं.आ०वि० / पटना, दिनांक— प्रतिलिपि:— गजट शाखा, वित्त विभाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. वे कृपया प्रकाशित ई—गजट की 100 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगें।

ज्ञापांक- 4 (न) गठ-8/2008 / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक- 3/1/1/ प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागध्याक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव